

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 31/2018

RCMS No. 2018/00256

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण:-
1. प्रकाशकुमार पुत्र भगाजी जाति कुम्हार निवासी सेन्दला, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत कुमटिया, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कुमटिया, तहसील बाली जिला पाली (राज.)
2. तलसाराम पुत्र भगाजी जाति कुम्हार निवासी सेन्दला तहसील बाली जिला पाली (राज.)		2. सादलाराम पुत्र हरजीराम के का.मु. 2/1 मानाराम पुत्र सादलाराम 2/2 कानाराम पुत्र सादलाराम 2/3 धन्नाराम पुत्र सादलाराम 2/4 नारायणलाल पुत्र सादलाराम 2/5 फुलीदेवी पत्नी सादलाराम जातिगण राईका, निवासीगण सेन्दला तहसील बाली जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति -

प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री नारायणलाल कुमावत
अप्रार्थी संख्या 2/5 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री राजेन्द्र मेवाड़ा

-: निर्णय :-

दिनांक:- 24.12.19

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, कुमटिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 20.09.1990 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 के अनुपस्थित रहने से प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2/5 की सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सेन्दला के खसरा नम्बर 401/3 रकबा 1.60 बीघा किस्म गै0मु0 आबादी की भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में गोचर के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी। उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा जरिये आदेश दिनांक 17.01.1997 के उक्त भूमि को गोचर से आबादी दर्ज करने के आदेश पारित किए, जिसकी पालना में जरिये नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 17.01.1997 को उक्त भूमि आबादी दर्ज की गई। इससे पूर्व उक्त भूमि गोचर के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी। इस कारण इस भूमि पर पट्टा जारी



अति. जिला कलेक्टर, पाली



करने का पंचायत को कोई अधिकारी नहीं था। जैर निगरानी पट्टा नियम 158 के तहत जारी किया गया है। नियम 158 के तहत उसी व्यक्ति को पट्टा जारी किया जा सकता है, जिसके पास स्वयं के गृह स्थल या गृह नहीं हो, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम ग्राम सेन्दला में रहवासीय मकान स्थित है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 परिवार सहित निवास करती है। अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त पैतृक मकान का पट्टा अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं होने का नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से स्वयं को भूमिहीन बताते हुए, जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व कोई मिसल कायम नहीं की एवं न ही अप्रार्थी द्वारा कोई आवेदन किया, न नक्शा तैयार किया एवं न ही वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार से विधिवत प्रक्रिया की पालना नहीं की तथा बिना कोई मिसल तैयार किए, बिना प्रक्रिया की पालना एवं बिना प्रस्ताव के जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। जैर निगरानी पट्टे में यह शर्त अंकित है कि मौके पर 2 वर्ष के अन्दर अन्दर भूमि पर मकान व झोंपड़े बनाने अनिवार्य है। उपरोक्त शर्त की अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने कार्यकाल में जैर निगरानी पट्टे व प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव आदि पारित नहीं किया एवं न ही कोई मिसल कायम की। पंचायत की भूमि हड़पने की नियत से तत्कालीन सरपंच द्वारा फर्जी एवं कूटरचित तरीके से आवेदन पत्र भर कर एक ही दिन में करीब 17 पट्टे जारी किए गए हैं। उपरोक्त पट्टों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत में कोई रेकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा व रहवास है। उपरोक्त भूमि पर पूर्व से आबादी बसी होने से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि को आबादी में दर्ज करवाने की कार्यवाही की, किन्तु ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पुराने मकान की भूमि पर विधि विरुद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की एवं न ही ग्राम पंचायत के कोरम से उक्त पट्टा जारी करने हेतु कोई प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी पट्टा खारिज करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2/5 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जो पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, वह पंचायती राज नियमों की पालना में जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत में वर्तमान में कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो इसमें अप्रार्थी का दोष नहीं है तथा इसका खामियाजा वो क्यों भुगतें ? तथा जिस समय अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी किया गया था, उस समय उक्त आराजी गै.मु. आबादी की भूमि थी तथा इसका पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार था। उपरोक्त तथ्यों के आधार प्रार्थी की निगरानी खारिज फरमाई जावे।


अति. जिला क्लर्क, पाली



हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत में कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 के पास स्वयं का कब्जासुदा मकान उपलब्ध होने के बावजूद जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया जाना जाहिर किया। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषकों, आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के प्रावधानों के तहत पट्टा जारी किया गया है, जिस पर मात्र तत्कालीन सरपंच के ही हस्ताक्षर हैं, ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नहीं हैं। रेकर्ड का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ही नहीं है, जो प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। अतः प्रकरण पुनः जांच कर विधिवत सुनवाई हेतु पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही की जा सके।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, कुमटिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 20.09.1990 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत कुमटिया को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। चूंकि प्रकरण में जैर निगरानी आज्ञा एवं इससे सम्बन्धित दस्तावेज पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना भी राजकीय दस्तावेजात् को गायब करने की श्रेणी में परिलक्षित होता है। इस हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को आदेश दिये जाते हैं कि वे उक्त दस्तावेज के गायब होने के सम्बन्ध में जांच कर दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत कुमटिया एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को भिजवाई जावे।



(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 24.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली